



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 231 सन् 2026

जगन्नाथ

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	अमर सिंह
-------------------------	---	----------

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी.
--------------------------	---	-----------

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- हमने याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अमर सिंह और राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव को सुना।
- याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि उन्हें 05.10.1990 को लेखपाल के पद पर नियुक्त किया गया था और वे 31.07.2025 को सेवानिवृत्त हुए। 16.10.2025 को 3,56,766/- रुपये के अतिरिक्त भुगतान की वसूली के लिए एक नोटिस जारी किया गया था। याचिकाकर्ता ने 12.11.2025 को अपना जवाब प्रस्तुत किया, जिसे 30.12.2025 को अस्वीकार कर दिया गया।
- उक्त आदेश को चुनौती देते हुए, वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आक्षेपित आदेश कायम नहीं रह सकता, क्योंकि यह अस्पष्ट और गैर-भाषित है और याचिकाकर्ता द्वारा 12.11.2025 की आपत्ति में उठाए गए तर्क का समाधान नहीं करता है।
5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि परिणामी वसूली करना हमेशा नियोक्ता का दायित्व होता है, हालांकि, आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि याचिकाकर्ता के तर्क पर विचार किया गया है।
6. मैंने बार में दिए गए निवेदन को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
7. तथ्य विवादित नहीं हैं। यह विवादित नहीं है कि 31.07.2025 को याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति होने के बाद 16.10.2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका याचिकाकर्ता ने 12.11.2025 को उत्तर दिया और 30.12.2025 को आक्षेपित आदेश पारित किया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि आक्षेपित आदेश में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्क को ध्यान में नहीं रखा गया है।
8. तदनुसार, दिनांक 30.12.2025 का आदेश मान्य नहीं हो सकता। फलस्वरूप, रिट याचिका स्वीकार की जाती है, दिनांक 30.12.2025 का आदेश रद्द किया जाता है, और प्रकरण दो माह के भीतर नया आदेश पारित करने के लिए संबंधित प्राधिकरण को वापस भेजा जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

13 जनवरी, 2026

राजेश